

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.7(1)नविवि/नियम/2019

जयपुर, दिनांक 24 JAN 2020

संशोधित आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक प.7(1)नविवि/नियम/2019 दिनांक 13.01.2020 में "राजस्थान नगर विकास न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन), नियम 1959" के स्थान पर "राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959" पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
9. वरिष्ठ छग शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।
10. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
11. रामस्त सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम